

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिबंध और प्रतिबंध) के तहत आंतरिक समन्वय समिति की वार्षिक बैठक कार्यवाही

प्रमाणित किया जाता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिबंध और प्रतिबंध) अधिनियम 2013 के धारा 4 के प्रावधान अनुसार आंतरिक शिकायत समन्वय समिति की बैठक समिति के संयोजक डॉ. दीपाली राव एवं सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 16-11-2016 को सम्पन्न हुई। इस बैठक में महिलाओं एवं छात्रों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु निम्न सूची पर चर्चा की गई एवं प्रास्ताव पारित किया गया।

- 1) महाविद्यालय में सुरक्षित बाड़न्कीवाला की व्यवस्था हो
- 2) महाविद्यालय में सीसी टी.वी. ऊँचे की व्यवस्था हो
- 3) महाविद्यालय में असंबद्ध लोगों का प्रवेश वर्जित
- 4) शिकायत व निवारण हेतु फ्लेक्स लगे हो
- 5) शिकायत बाक्स रखा जाय
- 6) रैंगिंग से संबंधित फ्लेक्स प्रदर्शित हो
- 7) मोबाइल नम्बर एम.एस/ईमेल/ महाविद्यालय के द्वारा बोर्ड पर प्रदर्शित हो
- 8) सतत निगरानी व्यवस्था हो
- 9) हेल्प डेस्क की सुविधा हो
- 10) लैंगिंग उत्पीड़न के निरुद्ध क्रियान्वित कार्यशाळाओं या जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो
- 11) सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आयोजित हो
- 12) गुड टच - बेउटच की जानकारी दी जाये

~~(13) महिलाओं के अधिकार एवं कानून संबंधी जागरूकता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी।~~
~~(14) गलत कामन रूम की व्यवस्था हो~~

~~छात्राओं की तरफ से किसी प्रकार की हिरक्य / मॉरिबुड शिकायत सामने नहीं आयेगी।~~

समितियाँ

- 9993234501
- ① कु. आ. दीपाली राव (संयोजक) 9993234501
 - ② डा. शमा ठाकुर (सदस्य) — *Shama*
मो. नं. 9826482394
 - ③ श्रीमती राजकुमारी गढ़पाले (सदस्य) *Rajkumari*
94242 95027
 - ④ श्रीमती रीना बारिया (सदस्य) *Reena*
(निलय बाल संरक्षण अधिकारी)
 - ⑤ कु. नीला नेगम (सदस्य) *Neela*
73542 66735
 - ⑥ डी. वि. का यादव (सदस्य) *Devika*
छात्रा प्रतिनिधि 79996-96768

Principals
PRINCIPAL
Govt. Indara Kenwal
Girl's College Kanwar
Distt. U. B. Kanwar (C.O.)

लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रविधेय और प्रतिरोध) समिति year - 2017

Date _____
Page _____

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रविधेय एवं प्रतिरोध अधिनियम 13 (2013 की संख्या 14) के तहत महाविद्यालय स्तर पर गठित आंतरिक समन्वयन समिति की बैठक समिति के संयोजक डा. अमा ठाकुर एवं सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 8-12-2017 दिन शुक्रवार को सम्पन्न हुई। इस बैठक में महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई एवं प्रस्ताव पारित किया गया।

- 1) पूरे महाविद्यालय में सीसीटीवी कैमरे की यथावधि व्यवस्था हो
- 2) सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग छात्राओं की की जानी चाहिए
- 3) लैंगिंग उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यशालाओं एवं जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित
- 4) महाविद्यालय में शिकायत प्रवाह रखा जाय
- 5) मानव संसाधन लोगों का प्रवेश वर्जित हो
- 6) सत निगरानी की व्यवस्था हो
- 7) गर्ल कामन रूम की व्यवस्था हो

हाराशर

Shamli

समिति

① डा. शमा ठाकुर (संयोजक)
Mob. 98264 82394

② श्रीमती राजकुमारी गढ़पाले (सदस्य)
94242 96027

Bella

③ श्रीमती रीना लारिया (सहाय)
(वि. बाल संरक्षण अधिकारी)
Mob - 95755 74000

Preman

④ नीता नेलाम (सदस्य)
प्रतिनिधि द्वारा
73842 66735

Neela

⑤ शीर्षी कुंजाम सदस्य
प्रतिनिधि द्वारा
78283 93337






शीर्षी


विश्व
PRINCIPAL
Govt. Indara Kanwar
Girl's College Kanwar
Distt. U. B. Kanwar (C.O.)

लैंगिक उत्पीड़न (निवारण) प्रतिबंध और प्रतिक्रिया

समिति सत्र - 2017-18


कार्यालय कुलेक्टर (महिला एवं बाल विकास)
उ. व. कांकर आदेश क्र 1624/मवावि/नवावि/कांकर
कांकर दिनांक 06.01.2018 के तहत महिलाओं
का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण
प्रतिबंध और प्रतिक्रिया) अधिनियम-2013
(2013 की संख्या 14) का क्रियान्वयन
है। महाविद्यालय स्तर पर आंतरिक समन्वय
समिति का गठन दिनांक 09/01/18 को
किया गया। समिति द्वारा किसी भी प्रकार
की समस्या होने पर महिलाएँ एवं छात्राएँ
आनलाइन एवं आफलाइन या अन्य माध्यम
संपर्क करने का निर्णय लिया गया।


- (1) डॉ. शमा ठाडुर (संयोजक) 
- (2) श्रीमती राजकुमारी गणपले (सदस्य) 
- (3) श्रीमती रीना लारिया (सदस्य) 
- (4) ड० नीता नेताम (सदस्य) 
- (5) ड० कीर्ति कुंजाम (सदस्य) 



PRINCIPAL
Govt. Indaru Kenwat
Giri's College-Kanker
Distt. U. B. Kanker (C.G.)


महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतिरोध अधिनियम 2013 (2013 की सं. 14) का अद्युक्त संस्करण हेतु - आंतरिक समन्वयन समिति की बैठक समिति के संयोजक डॉ. शमा ठाडूर एवं सदस्यों की कार्यस्थल में दिनांक - 21 दिसंबर 2019 दिन शनिवार सम्पन्न हुई। इस बैठक निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई।


- ① महिलाओं एवं छात्राओं को लैंगिक उत्पीड़न गुड टच एवं बेट टच की जानकारी कार्यस्थल में दी जानी चाहिए।
- ② शिकायत करने पर तुरंत निवारण या कार्यवाही हो।
- ③ लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की जानकारी दी जाए।
- ④ लैंगिक उत्पीड़न संबंधित शिकायतों को लिए शिकायत पेट्री महाविद्यालय में लगायी जाये।
- ⑤ सी-सी कमरा होना चाहिए।
- ⑥ महिलाओं के अधिकार एवं कानून संबंधी जानकारी दी जानी चाहिए।
- ⑦ छात्रों को मान लाइव या भाक लाइव शिकायत समिति के सदस्यों के पास करने पर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए।

① डी. शमा ठाडुर (संयोजक) - 

② श्रीमती राजकुमारी गडपल्ले (सदस्य) 

③ श्रीमती रीना लारिया (सदस्य) 

④ द. कुं नीला नेगम (सदस्य)
द्वारा प्रतिनिधि 



PRINCIPAL
Govt. Indaru Kanwar
Girl's College Kanwar
Distt. U. B. Kanwar (C.O.)

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिबंध और प्रतिकार) के तहत सत्र 2019-20 में वार्षिक बैठक की कार्यवाही

विषयान्तर्गत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिबंध और प्रतिकार अधिनियम 2013 (2013 की संख्या 14) का क्रियान्वयन हेतु महाविद्यालय में लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिनांक 17.9.2020 को निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा की गई।

- 1) गर्ल कमन रूम की व्यवस्था हो
- 2) शिवायल बाम्स रखा जाय
- 3) समय समय पर सेल्फ डिफेंस से संबंधित ट्रेनिंग की जाय
- 4) गुरु टच बेड टच के बारे में छात्राओं को जानकारी की जानी चाहिए
- 5) आंबेडकर व्यक्तियों को महाविद्यालय में प्रवेश निषेध हो

1. समिति

1) डॉ. शमा ठाडुर (संयोजक)

Shama

2) गीमती राजकुमारी गढ़पाले (सहायक)

3) कुं प्रीति पटेल सहायक (सदस्य)

4) कु. नीला नेराम (सदस्य)
छात्रा प्रतिनिधि

Neela

5) श्री कुजाम (सदस्य)
छात्रा प्रतिनिधि

Shri

PRINCIPAL
Govt. Induru Kanwar
Girl's College Kanwar
Distt. U. P. Kanwar (G. P.)

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रविधेय और प्रतिगोच) के तहत सत्र 2020-21 में पारित बंधों की कार्यवाही

उपरोक्त विषयान्तर्गत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रविधेय एवं प्रतिगोच) के तहत महाविद्यालय में लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध दिनांक 12-11-20 को कार्यवाही हेतु निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।

- 1) महाविद्यालय में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए
- 2) संबंधित व्यक्तियों का प्रवेश निषेध हो
- 3) शिकायत बाक्स रखा जाय।
- 4) शिकायत होने पर तुरंत कार्यवाही हो जाय।

क. समिति

1) डॉ. शमा गुरु

Shama

2) श्रीमती राजकुमारी गढ़पाले

Rajkumari

3) सुशीति पटेल

Sushiti

4) कुनीवा नेताम (छात्रा प्रतिनिधि)

Kuniva

5) कु. सीति कुंजाम (छात्रा प्रतिनिधि)

Seethi